N/C

प्रपत्र VI 'A'

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय,खूँटी

(जिला भू–अर्जन शाखा)

पत्रांक:- 42(i)
दिनांक:- 03-6-19

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

चूँकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम कर्रा** थाना सं0 **85** अंचल **कर्रा** जिला खूँटी में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन,यथा परियोजना **कोन्सा–बकसपुर–गोविन्दपुर –कर्रा पथ चौड़ीकरण परियोजना** हेतु RCD के लिए अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–कर्रा** थाना सं0 **85** अंचल **कर्रा** जिला खूँटी के भीतर उपर्युक्त परियोजना के लिए कमोबेश **0.09** एकड़ यानि **0.03643724696** हेक्टेयर मानक माप का भू–खण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित अर्जनाधीन है।

ग्राम–कर्रा थाना–कर्रा थाना सं0 85 अंचल कर्रा का विस्तृत विवरणी

क्र0 संख्या	खाता संख्या	सर्वे भू–खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भुमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षे0 (ए0)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा (भू खण्डसंख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	25	178 अंश	गोशाई मुण्डा वो दाउद मुण्डा	परती कदीम	0.01 ए0	मनोज होरो,इमानुएल होरो वल्द स्व.जौनसन होरो। कर्रा,खूँटी।	उ0–178 का अंश द0–रास्ता पू0–177 प0–181
2	38	177 अंश	जोसफ मुण्डा वो मतियस मुण्डा		0.08 ए0		उ0–177 का अंश द0–रास्ता पू0–95 प0–178
				कुलः–	0.09 ए0		

यह अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30 / 2013), की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि की योजना / नक्शा का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खूँटी और उसके कर्मचारी को प्राधिकृत करते हैं।अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवायेगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम का धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

अतः प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारूप उपायुक्त महोदय से हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित किया जा सकता है।

ह0/–
उपायुक्त,
खूँटी।

ज्ञापांकः–......42(i)   दिनांकः–03-06-19

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11(1)(क) के तहत राजपत्र में प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसर्म्पक पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11(1)(ख) के तहत दो स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, खूँटी/अनुमंडल पदाधिरकारी, खूँटी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी/अंचल अधिकारी, कर्रा/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कर्रा/संबंधित पंचायत सेवक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जात है कि प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11(1)(ग) के तहत अपनेअधिनस्त कार्यालय के सूचना पट्ट में प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11(1)(घ) के तहत जिला के वेबसाईट में प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाय।

उपायुक्त,
खूँटी।